बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
(कार्यालय आदेश) – 27

पटना, दिनांक– 21/1/19

सचिका सं०– प्र0–10/न0प्र0क्षे0(LWE) 07–55/2018

विभाग के द्वारा Road Connectivity Project for Left wing Extramism Affected Areas (RCPLWEA) के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सड़कों की द्वितीय स्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा निरीक्षण एवं जाँच की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु Online प्रकाशित किये गये सूचना के क्रम में प्राप्त आवेदनों में से दिनांक–11.01.2019 को समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में इच्छुक निम्नांकित आवेदकों को राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक (SQMs) के रूप में empanel किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम	पिता का नाम	मोबाईल नं0	ईमेल आईडी	पत्राचार का पता
1	श्री अवधेश शर्मा	श्री चतुर्भुज सिंह,	9431669522	awadheshsharma1955@gmail.com	विकास कॉलोनी लेन–2, संडलपुर रोड कुम्हरार, पटना–6
2	श्री गोविन्द प्रसाद जयसवाल	स्व0 राघव चौधरी	9431841834	gpjaiswal1955@gmail.com	218, शिवम् अपार्टमेन्ट, कैनाल रोड, बांकीपुर, पटना–4
3	श्री काशीनाथ गुप्ता	स्व0 रामलोचन गुप्ता	7763816533	kngupta432@gmail.com	फ्लैट नं0–3 A, चारूविला अपार्टमेन्ट, हीरा पन्ना के पीछे, बोरिंग रोड चौराहा पटना
4	श्री राजाराम पाल	श्री रामनिहोर पाल	9415026286	rrpal6@gmail.com	2/28 विराट खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

चयनित SQMs द्वारा अगले छः माह में Pension Payment Order नहीं जमा किये जाने या किसी प्राधिकार से इनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित का Empanellment रद्द किया जायेगा।

2. सड़को की गुणवत्ता जाँच, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मार्गदर्शिका एवं RCPLWEA-Bihar द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देश के आलोक में होगी। प्रत्येक माह में जिलावार निरीक्षण कार्यक्रम निदेशक, जाँच, शोध एवं अन्वेषण–सह– State Quality Coordintor के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। रूटीन अनुरक्षण अवधि में भी पथ कार्य निरीक्षण की परिधि में होगी। निरीक्षण हेतु प्रतिनियुक्त नहीं किये जाने की स्थिति में भुगतान देय नहीं होगा।

3. राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक (SQM) द्वितीय स्तर गुणवत्ता नियंत्रण के साथ–साथ समय–समय पर विभाग द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में Core Network/DPR Validation जैसी तकनीकी दायित्वों का कार्य भी करेंगी, जिसके लिए निरीक्षण हेतु निर्धारित दरों पर ही भुगतान किया जाएगा।

(हस्ताक्षर) 21/1

D:\RANJEET\Pit patra ke badle mein

4. SQM को माह में अधिकतम 15 दिनों तक संबंधित जिलों में जाना होगा। सड़क स्थल निरीक्षण के एक सप्ताह के अन्दर, उन्हे अपना निरीक्षण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में देना होगा। प्रतिवेदन समर्पित करने के पूर्व सभी SQM जाँच प्रतिवेदन नियमित रूप से OMMAS के Site पर आवश्यक फोटोग्राफ (न्यूनतम 10 फोटोग्राफ) के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। जाँच प्रतिवेदन OMMAS पर अपलोड करने हेतु SQC द्वारा Login Id एवं Password उपलब्ध कराया जाएगा। Login Id एवं Password उपलब्ध कराने हेतु सभी SQMs विहित प्रपत्र में सूचना SQC को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5. निरीक्षण, NRIDA के प्रावधान के अनुरूप होना चाहिए। गैर अनुरूप निरीक्षण के लिए कोई भुगतान नहीं होगा। इसका निर्णय नोडल ऑफिसर RCPLWEA के द्वारा लिया जाएगा।

6. SQC के द्वारा आवंटित कार्य के लिए SQM का मानदेय ₹ 3500.00 (तीन हजार पाँच सौ) प्रति दिन होगा।

7. निरीक्षण के दौरान ₹ 500.00 प्रति दिन के दर से दैनिक भत्ता एवं ₹ 2500.00 (अधिकतम, रसीद उपलब्ध कराने के उपरान्त) प्रति दिन के दर से आवास किराया भत्ता देय होगा।

8. SQM द्वारा किए गए यात्रा (स्वयं / किराये के गाड़ी द्वारा) के लिए 10 रूपये प्रति किलो मीटर (अधिकतम) के दर से देय होगा।

9. SQM का मनोनयन एक वर्ष की होगी। SQM के निरीक्षण प्रतिवेदन का मूल्यांकन प्रत्येक छः महीने में किया जाएगा। उनका कार्य अवधि का विस्तार उनकी कार्यशैली संतोष जनक पाये जाने के उपरान्त आपसी सहमति से होगा।

10. चयनित SQM को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11. NRIDA द्वारा समय–समय पर की गई मानदेय, भत्तों आदि में परिवर्तन तथा इससे संबंधित अन्य दिशा–निर्देश लागू रहेगा।

12. इस आदेश के आलोक में किसी प्रकार की नियुक्ति अथवा कार्य हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

13. कार्य असंतोष पाये जाने की स्थिति में आपको बिना कारण बताय निरीक्षण कार्य एवं Empanelment की सूची से हटाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा

14. पत्र निर्गत के तिथि से एक सप्ताह के अन्दर SQM अपना सहमति पत्र अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस पर विभागीय माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(डॉ0 आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)
–सह–नोडल पदाधिकारी
भारत–नेपाल सीमा सड़क परियोजना
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

D:\RANJEET\Pit patra ke badle mein

ज्ञापांक :– प्र0–10/न0प्र0क्षे0(LWE) 07–55/2018 न31(5) पटना, दिनांक– 21/1/19
प्रतिलिपि :– सभी सम्बन्धित empanelled State Quality Monitors को सूचनार्थ समर्पित।

(डॉ0 आलोक कुमार) 21/01

ज्ञापांक :– प्र0–10/न0प्र0क्षे0(LWE) 07–55/2018 न31(5) पटना, दिनांक– 21/1/19
प्रतिलिपि :– Director (P-III), NRIDA, PMGSY, Ministry of Rural Development, 15-NBCC Tower, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 आलोक कुमार) 21/01

ज्ञापांक :– प्र0–10/न0प्र0क्षे0(LWE) 07–55/2018 न31(5) पटना, दिनांक– 21/1/19
प्रतिलिपि :– निदेशक, TTRI –सह– State Quality Monitors for RCPLWEA पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(डॉ0 आलोक कुमार) 21/01

ज्ञापांक :– प्र0–10/न0प्र0क्षे0(LWE) 07–55/2018 न31(5) पटना, दिनांक– 21/1/19
प्रतिलिपि :– सभी सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

(डॉ0 आलोक कुमार) 21/01

ज्ञापांक :– प्र0–10/न0प्र0क्षे0(LWE) 07–55/2018 न31(5) पटना, दिनांक– 21/1/19
प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख –सह– अपर आयुक्त –सह– विशेष सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

(डॉ0 आलोक कुमार) 21/01

21/01/19

D:\RANJEET\Pit patra ke badle mein